




फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	5/2/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य कार्यालयान्तरण हो गया सल्लकार में वस्तु है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/3/25 को पेश।
	26.3.25	पत्रावली पेश हुई। अधिकारता जारी उपस्थित। पूर्वरेखा की मालता में पत्रावली दिनांक 16/4/25 को पेश हो।
		 उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
16.4.25  Not Press  		पत्रावली पेश हुई। अधिकारता जारी उपस्थित। अधिकारता जारी द्वारा निवेदन किया गया कि मजदूरान के मध्य खलीनामा हो चुका है। वादीगण अपने वाद को भाँगे खलना नहीं चाहते हैं। अतः वाद वादीगण 'Not Press' करने की अनुमति उदान करे। अधिकारता वादीगण के निवेदन पर वाद पर 'Not Press' करने की अनुमति उदान की गयी। वादीगण का वाद 'Not Press' के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली मालता कुमार होकर नंबर से कम होकर वास्तविक स्तर हो।
		 उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर